

आदेश

श्री जसमीत कौर पत्नी श्री सतनाम सिंह, पंच, वार्ड नं०. 04, ग्राम पंचायत धनी रामपुरा, खण्ड पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 26.09.2023 जो उपायुक्त, कुरुक्षेत्र के सिफारिश पत्र क्रमांक 7095/पंचायत दिनांक 04.07.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
15-07-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

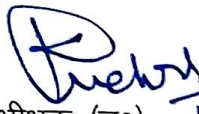
पृ० क्रमांक ई०सी०ए०५-2025/ 33083-89

दिनांक : 18/07/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
 2. उपायुक्त, कुरुक्षेत्र को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 7095/पंचायत दिनांक 04.07.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित करते हुए यह भी लिखा जाता है कि संदर्भित पत्र दिनांक 04.07.2025 में त्याग पत्र दिनांक 26.09.2023 को विलम्ब से प्रेषित करने के कारण का कोई उल्लेख नहीं है तथा संदर्भ में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पिहोवा के स्थान पर इस्माईलाबाद अंकित है।
 3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
 4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पिहोवा (जिला कुरुक्षेत्र)।
 5. संरपच, ग्राम पंचायत धनीरामपुरा, खण्ड पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र।
 6. श्रीमति जसमीत कौर पत्नी श्री सतनाम सिंह निवासी गांव धनी रामपुरा, तहसील पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

SR. Govind/ Sh. Mohit


अधीक्षक (चु०) 17/07/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

